FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

राज अदालत ....सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), ... गुड़ामालानी...........

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. जोगाराम पुत्र दुर्गाराम 2. खेताराम पुत्र दुर्गाराम 3. रामुदेवी पत्नी थानाराम 4. कोहलाराम पुत्र थानाराम 5. मुकेश पुत्र थानाराम वलिये माता रामूदेवी 6. अनुदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति जाट निवासी खारडी बेरी तहसील नौखडा		1. दुर्गाराम पुत्र टीकमाराम 2. मलाराम पुत्र दुर्गाराम कौम जाट साकिन खारडी बेरी आडेल तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर 3. मैनेजर दी सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. शाखा नौखडा 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा

किस्म मुकदमा......धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मु0नं0...10 / 2023.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
06.01.2023	प्रार्थीगण जोगाराम वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री राजीव सारण द्वारा विप्रार्थीगण दुर्गाराम वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 40, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का मौजा खारडी बेरी तहसील धोलानाडा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 510/2 रकबा 3.8832 हैक्टेयर की पैतृक खातेदारी भूमि में पैतृक हिस्सा घोषित कराने का पेश किया है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 मुतवफी टीकमाराम के विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान हैं। उक्त आराजी का पर्चा लगान पूर्व पुरुष टीकमाराम के नाम से जारी होकर राजस्व रेकर्ड संधारित हुआ, टीकमाराम के स्वर्गवास होने पर होने पर दुर्गाराम के नाम विरासत का नामान्तरण खोला गया। उक्त भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण संख्या 1, 2, 6 का 1/6 हिस्सा तथा प्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5 का 1/18 हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं। वर्तमान में उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को पैतृक हकों की उक्त सम्पत्ति से हमेशा के लिये बंचित करने एवं पैतृक हकों से महरूम करने के लिये आगे बेचान करनें एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है, जिससे प्रार्थीगण द्वारा अपने हकों की सुरक्षार्थ पैतृक हक की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय श्री में पेश किया है, मूंल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है, अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव सारण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार विवादित आराजी पैतृक होने की पुष्टि होती है। भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण के उक्त आराजी में हक निहित हैं, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्थगनादेश में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक प्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा खारडी बेरी तहसील धोलानाडा हाल नौखडा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 510/2 रकबा 3.8832 हैक्टेयर की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 07.02.2023 को पेश हो। Signature Not Verified Digitally signed by Keshav Kumar Meena Date: 2024.10.09 16:34:10 IST Reason: SelfAttested (प्रमोद कमार)	56 ग़ोग (?) 11/1/23 प्रतिलिपि:- 1. तहसीलदार नौखड़ा 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण (प्रमोद कुमार)

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...3/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण विपक्षीगण की तामील हेतु रिपोर्ट पेश करने का अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि० 28/3/24 को पेश हो।	
28/3/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण विपक्षीगण के समक्ष डाक द्वारा भेजकर ट्रैक रिपोर्ट पेश करने का एक और अवसर चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दि० 27/5/24 को पेश हो।	
27/5/24 ... में व्यस्त हैं। ... होकर पत्रावली आइन्दा 31/5/24 को पेश हो।	
31/05/24 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थीगण को मय अधिवक्ता कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई गई। बावजूद आवाजें दिलाने के प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 06/01/23 निरस्त की जाकर उक्त उनवान प्रकरण प्रार्थीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:34:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner